

## पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

### “कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1) के अधीन गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 द्वारा दी गयी संस्तुति के अधार पर धारा 21 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2 का स्थानान्तरण स्थान - 4 में अंकित स्थानों पर किया जाता है।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान / जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थान / जनपद	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा० अमित पाल पवार प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय मंगलौर, हरिद्वार।	रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, श्रीनगर, पीड़ी।	जनहित
2	डा० अनूप नौटियाल प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय हबटुपुर देहरादून।	पशुचिकित्सालय, पंजिटिलानी, देहरादून।	जनहित
3	डा० देवकी पिल्खवाल प०चि०अ०, ग्रेड-2,	सघन कु०वि०प्रा० देहरादून।	पशुचिकित्सालय, कमलपुर, पौड़ी	जनहित
4	डा०ओम प्रकाश प०चि०अ०, ग्रेड-2,	कालसी प्रक्षेत्र देहरादून।	पशुचिकित्सालय राजपुर, देहरादून।	धारा 3 (घ) के अन्तर्गत निजी अनुरोध
5	डा० रविन्द्र कुमार, प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय गोवद्वन्पुर, हरिद्वार।	पशुचिकित्सालय देवप्रयाग, टिहरी।	जनहित
6	डा० वन्दना यादव प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय लालकुंआ, नैनीताल।	पशुचिकित्सालय बड़ावे, पिथौरागढ़।	जनहित
7	डा० दिनेश कुमार आर्य प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय वैलपडाव नैनीताल।	पशुचिकित्सालय पवाघार, पिथौरागढ़।	जनहित
8	डा० निशान्त सेनी, प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय तेलीवाला, हरिद्वार।	पशुचिकित्सालय डामटा, उत्तरकाशी।	जनहित
9	डा० कमलकान्त, प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय झबरेडा, हरिद्वार।	पशुचिकित्सालय भवान, टिहरी।	जनहित
10	डा० प्रदीप मिश्रा प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय राजपुर, देहरादून।	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र-कोपडधार, टिहरी।	जनहित
11	डा० नेहा चौधरी प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय भवाली, नैनीताल।	पशुचिकित्सालय सिमलखॉ, नैनीताल।	जनहित
12	डा० सन्तोष कुमार बुधानी प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय रामेश्वरपुर, उधमसिंहनगर।	पशुचिकित्सालय, ऊँचाकोट, नैनीताल।	जनहित
13	डा०राहुल सती, प०चि०अ०, ग्रेड-2,	पशुचिकित्सालय बन्नाखेड़ा उधमसिंहनगर।	पशुचिकित्सालय, मजखाली, अल्मोड़ा।	जनहित

उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। तथा कार्यभार ग्रहण करने तक सम्बन्धित अधिकारियों को किसी भी प्रकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(डा०क०क०ज०शी)  
निदेशक।

पंत्राक १००७ / स्थानेक / प०चि०अ०-स्थाना० / २०१८-१९ / दिनांक ०० जून, २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रमुख निजी सचिव, मांमंत्री जी, पशुपालन उत्तराखण्ड सरकार को मांमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
२. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
३. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
४. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
५. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
६. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
७. सम्बन्धित परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
८. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी।
९. सम्बन्धित रोग निदान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड।
१०. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी।
११. सम्बन्धित अधिकारी।

  
(डॉके०के०जोशी)  
निदेशक।

**पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।**  
**“कार्यालय आदेश”**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17 (1) के अधीन गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 द्वारा दी गयी संस्तुति के अधार पर धारा 21 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2 का स्थानान्तरण स्तम्भ – 4 में अंकित स्थानों पर किया जाता है।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान / जनपद	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती का स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा०राजीव कुमार, पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय, गांगोलीहाट, पिथौरागढ़।	यू०एल०डी०बी० सीमेन वैंक लालकुआं नैनीताल।	जनहित
2	डा०दीपमणि गुप्ता पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, पांगू पिथौरागढ़।	पशुधन प्रसार अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र, पशुलोक, ऋषिकेश, देहरादून।	जनहित
3	डा०नीरज कुमार पचौरी, पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय सतपाली, पौड़ी।	पशुचिकित्सालय हरबर्टपुर देहरादून।	जनहित
4	डा०दीपा रिंगवाल, पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय बड़ावे, पिथौरागढ़।	रोग निदान प्रयोगशाला, रुद्रपुर उधमसिंहनगर।	जनहित
5	डा०संदीप कुमार पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय, छैजुला, उत्तरकाशी।	पशुचिकित्सालय, लालकुआं, नैनीताल।	जनहित
6	डा०राजीव कुमार, पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, खलियाणबांगर, रुद्रप्रयाग।	पशुचिकित्सालय, तेलीवाला, हरिद्वार	जनहित
7	डा०कमल तिवारी पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय, मजखाली, अल्मोड़ा।	पशुचिकित्सालय, रामेश्वरपुर, उधमसिंहनगर।	जनहित
8	डा०रजनीश स्वामी पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय, डामटा, उत्तरकाशी।	पशुचिकित्सालय, अजबपुर, देहरादून।	जनहित
9	डा०मोहन आर्या, पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय, पवाधार पिथौरागढ़।	पशुचिकित्सालय, भवाली, नैनीताल।	जनहित
10	डा०आर०के०शर्मा पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय, त्यूनी, देहरादून।	यू०एल०डी०बी०, श्यामपुर, ऋषिकेश, देहरादून।	जनहित
11	डा०दीपक मेहरा पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	ग्वालदम फार्म, चमोली।	पशुचिकित्सालय, झाबरेड़ा, हरिद्वार।	जनहित
12	डा०कंचन पांगती पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय सिमलंखा नैनीताल।	पशुचिकित्सालय बेलपड़ाव उधमसिंहनगर	जनहित
13	डा०नन्दन प्रसाद पशुचिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-2	पशुचिकित्सालय ऊंचाकोट, नैनीताल।	पशुचिकित्सालय बनाखेड़ा, उधमसिंहनगर।	जनहित

उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। तथा कार्यभार ग्रहण करने तक सम्बन्धित अधिकारियों को किसी भी प्रकार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(डा०के०के०जोशी)  
निदेशक।

पंत्रांक 1000 / स्थानेक / पठिंओ-स्थानां / 2018-19 / दिनांक 08 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख निजी सचिव, मांमंत्री जी, पशुपालन उत्तराखण्ड सरकार को मांमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी।
9. सम्बन्धित रोग निदान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड।
10. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी।
11. सम्बन्धित अधिकारी।

(डा०के०क०ज०ज०शा)  
निदेशक।